

प्रकरण संख्या - 89 / 2021

उनवान

- 1- श्री हेमराज पुत्र स्व० लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 2- आशा पुत्री स्व० लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 3- श्रीमति सोहनी पत्नी स्व० लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 4- श्रीमति शान्ती देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश गुसाई निवासी बिलिया तहसील ओम प्रकाश निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 5- मु० पूजा पुत्री स्व० ओम प्रकाश गुसाई जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 6- मु० लक्ष्मी पुत्री स्व० ओम प्रकाश गुसाई जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० मेवा गुजर निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 2- श्रीमति गट्टू पत्नी हरजी बलाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति - श्री दुर्गालाल राजोरा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 07/07/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1628/110 रकबा 0.50 है० कुल कित्ता 1 रकबा 0.50 हैक्टैयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बिलिया संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बिलिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 1 रकबा 0.50 की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.